भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2483
उत्तर देने की तारीखः 08.07.2019

सरकारी विद्यालयों के शिक्षक

2483. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा खर्च किए गए शिक्षण और गैर-शिक्षण घंटों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-शिक्षण घंटों की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के कानून के लिए समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 27 में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों को आरटीई अधिनियम के अनुरूप कर्तव्यों से इतर अन्य गैर शैक्षिक कर्तव्यों के लिए नियोजित न किया जाए। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

(ख) से (घ): आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/ अनुदेशात्मक घंटों की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है:-

1. पहली से पांचवी कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस;
2. छठीं कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस;
3. पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में आठ सौ अनुदेशात्मक घंटे;

4. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष में एक हजार अनुदेशात्मक घंटे।

इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची के अनुसार, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की संख्या पैंतालीस है जिसमें तैयारी का समय भी शामिल है।

*****